# वित्त विधेयक

विभिन्न कराधान संबंधित अधिनियमों को और युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948, बिहार पेशा, व्यापार आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन कर राज्य के कर संग्रह में वृद्धि करने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। उपर्युक्त उद्देश्य से इन अधिनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव बिहार वित्त विधेयक 2012 के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है । बिहार वित्त विधेयक 2012 के चार भाग है :–

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन,

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन,

बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन,

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन ।

कर संग्रहण एवं कर प्रशासन में सरलता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उदेश्य से बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में एक नई धारा 15क जोड़ते हुए सोने, चांदी जैसी विभिन्न श्रेणी की वस्तुओं तथा रेस्तरां एवं कार्य संविदा जैसे विभिन्न श्रेणी के व्यवसायियों के लिए समाहितीकरण योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

ईनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन की समय–सीमा निर्धारित करने, समाहितीकरण योजना का लाभ लेने वाले व्यवसायियों द्वारा दी जानेवाली ईनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता को समाप्त करने तथा क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करनेपर ईनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता को सीमित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 16 में संशोधन प्रस्तावित है। साथ ही, अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के मामले में ईनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता को विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है।

करदेयता नहीं होने के बावजूद निबंधन लेनेवाले व्यवसायियों को 10 हजार रूपये की प्रतिभूति राशि जमा करने की अनिवायर्ता निर्धारित करने के उदेश्य से अधिनियम की धारा 19 में संशोधन का प्रस्ताव है।

भिन्न–भिन्न श्रेणियों के व्यवसायियों की विवरणी दाखिल करने की अलग–अलग अंतिम तिथि निर्धारित किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 24 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि अधिकांश व्यवसायियों के लिए एक ही तिथि निर्धारित होने के कारण अंतिम तिथि को विभागीय सर्वर पर सृजित भार को कम किया जा सकें।

समाहितीकरण योजना के अधीन कार्य–संवेदकों की ग्रोस टर्नओवर में से निर्धारित दर से कटौती करने की अनुमान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 35 में संशोधन में प्रस्तावित है।

कार्य संविदा के मामलों में श्रोत पर की जानेवाली कर की कटौती दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किये जाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 41 में संशोधन प्रस्तावित है।

चूंकि सत्यापन के उपरान्त ईनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी एक निर्धारित समय–सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए अधिनियम में एक नई धारा 69क जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

ऑनलाईन ई–पेमेंट, ई–रिर्टन तथा अन्य ई–रिर्पोटों के दाखिल करने की निर्धारित तिथि को आवश्यकतानुसार विस्तारित करने की शक्ति आयुक्त को प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम में एक नई धारा 98क जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 में उर्जा के मूल्य पर जारी विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करते हुए उर्जा के मूल्य को परिभाषित किये जाने का प्रस्ताव है।

पेशाकर में पेशाकर चुकानेवाले व्यक्तियों के लिये रिटर्न फाईलिंग और असेसमेंट की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के उद्देश्य से पेशा कर अधिनियम की धारा 3 तथा धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव है।

राज्य के सड़कों पर वाहनों के बढ़ते भार एवं इस कारण प्रदुषण की मात्रा में वृद्धि की स्थिति से निबटने हेतु एवं सड़कों के रख–रखाव पर होनेवाले खर्च में वृद्धि की दशा में अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था के उदेश्य से मोटरवाहन करारोपण अधिनियम के अधीन मोटर वाहनों पर लगनेवाले कर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया जा रहा है। वर्त्तमान में मोटर साईकिल पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत, 4 लाख रूपये तक के कार पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत एवं 4 लाख से अधिक मूल्य के कार पर वैट रहित क्रय मूल्य का 7 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यापारी या निर्माता के अधीन मोटर साईकिल, भारी वाहनों के चेचिस एवं अन्य वाहन के लिए क्रमशः वार्षिक कर प्रति वाहन 150 रूपये, 250 रूपये एवं 200 रूपये प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधनों से लगभग 100 करोड़ रू0 अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति सम्भावित है।